


INDIA NON JUDICIAL




Government of Uttar Pradesh

IN-UP03583798902003V

e-Stamp

ANAND
Stamp Vendor Lic-82
E-Stamp ACC No.-14203304
Hathras (U.P.)
Licence Validity- 31-03-2024

Certificate No. : IN-UP03583798902003V
 Certificate Issued Date : 02-Sep-2023 12:43 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14203304/ HATHRAS SADAR/ UP-HTR
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UP/UP1420330402815417248316V
 Purchased by : DUSHYANT KUMAR AND VIKRANT RAGHUWANSHI
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : AFFIDAVIT
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : DUSHYANT KUMAR AND VIKRANT RAGHUWANSHI
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : DUSHYANT KUMAR AND VIKRANT RAGHUWANSHI
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



Please write or type below this line

Stamp is a part of
is attached.

[Handwritten signature]
10800
HATHRAS (U.P.)
No.-10800

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Notary Seal

For the purpose of www.eshampaper.com or www.eshampaper.com or www.eshampaper.com or www.eshampaper.com or www.eshampaper.com or www.eshampaper.com or www.eshampaper.com or www.eshampaper.com or www.eshampaper.com or www.eshampaper.com

प्रारूप "अ"

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम.. श्री दुष्यंत कुमार एवं श्री विक्रान्त रघुवंशी कमशः अध्यक्ष एवं सचिव- डॉ वी पी मदनराव कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कोर्सज , कैलोरा चौराहा हाथरस जंक्शन हाथरस शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा डॉ वी पी मदनराव कॉलेज ऑफ फार्मसी , कैलोरा चौराहा हाथरस जंक्शन हाथरस नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम कैलोरा चौराहा हाथरस जंक्शन हाथरस में गाटा संख्या 563, 532 एवं 533 रकबा कमश 0.110, 0.474 एवं 0.473 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.057 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 563, 532 एवं 533 रकबा कमशः 0.110, 0.474 एवं 0.473 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.057 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 11/07/2021 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमतः डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

दुष्यंत

Raghunji

8. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प० संघन क० से सम्बद्ध संस्था एवं प्राध्यापकों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय/महाविद्यालय / आई(टी)बोर्ड आदि का संभालन व जो पूर्व में कभी किया गया है, और व ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संभालन हेतु आवश्यक क्वासि रूप, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुगमजित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संभालन हेतु आवश्यक लैबोरेटरी एवं अलैबोरेटरी स्टाफ की तैयारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सन प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि बोर्ड / परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन कर्हेगा। यदि भेरे संस्थान में किसी भी रूप में स्वतंत्र निर्देशों में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की विरीक्षण एवं सम्बद्धता प्रक्रिया द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं पुनः मान्य होगा। इस हेतु भेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि भेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी किसी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज पन्जी, कूटस्थित अथवा पुरिपूर्ण पाये जाते हैं तो भेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संमत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

सुदीप
(अध्यक्ष)
डॉ. सुदीप

Rajesh
डॉ. राजेश
(अध्यक्ष)

This Statutory part of
A. K. S. O. & L.

Notary
NOTARY
Notary Public
No. 10003